

## जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन दसमिति की दिनांक 30.06.2025 को आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 30.06.2025 को मुख्य विकास अधिकारी महोदया/सदस्य, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति कुशीनगर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आहूत की गयी, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. श्री विवेक कुमार कुशवाहा, सहायक अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।
2. श्री नीरज कुमार, सहायक अभियन्ता, एस0डब्लू0एस0एम0, कुशीनगर।
3. श्री चरण सिंह, उप परियोजना प्रबंधक, मे0 एन0सी0सी0 लिमिटेड, कुशीनगर।
4. श्री अभय उपाध्याय, इंजीनियर, मे0 एन0सी0सी0 लिमिटेड, कुशीनगर।

सहायक अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद कुशीनगर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के फेज-2 व फेज-3 में कुल 453 अदद ग्रामीण पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिनसे जनपद के कुल 667 अदद ग्राम पंचायतों के 904 अदद राजस्व ग्रामों में कुल 334718 अदद गृह जल संयोजन किया जाना है जिसके सापेक्ष 84 अदद ग्राम पंचायत पेयजल योजनाओं का कार्य शतप्रतिशत पूर्ण है, 620 अदद राजस्व ग्रामों में जलापूर्ति की जा रही है तथा शेष कार्य प्रगति पर है।

### 1- सड़क पुनस्थापना

सहायक अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद कुशीनगर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के फेज-2 व फेज-3 में वितरण प्रणाली बिछाने के दौरान कुल 1829 किमी0 की लम्बाई में सड़के काटी गयी जिसके सापेक्ष 1790 किमी0 की लम्बाई में पुनस्थापना का कार्य करा दिया गया है तथा कुल 904 अदद राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 760 अदद राजस्व ग्रामों में सड़क पुनस्थापना का कार्य शतप्रतिशत करा लिया गया है। मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा शतप्रतिशत पुनस्थापित सड़को वाले राजस्व ग्रामों के सत्यापन के सम्बन्ध में पूछे जाने पर सहायक अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि वितरण प्रणाली बिछाते समय क्षतिग्रस्त सड़को के शतप्रतिशत पुनस्थापित सड़को वाले 510 अदद राजस्व ग्रामों का सत्यापन मुख्य विकास अधिकारी महोदया कुशीनगर के द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी तथा अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया जिसमें 14 अदद राजस्व ग्रामों में कमियाँ परीक्षित हुई। उक्त कमियों को दूरस्त करा लिया गया है तथा सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है।  
(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/मे0 एन0सी0सी0 लि0 कुशीनगर/टी0पी0आई0ए0/डी0पी0एम0यू0)

### 2- "हर घर जल"

सहायक अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद कुशीनगर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के फेज-2 व फेज-3 में कुल 904 अदद राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 362 अदद राजस्व ग्रामों में "हर घर जल" प्रमाणीकरण का कार्य करा दिया गया है। जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक दिनांक 13.05.2025 में जिलाधिकारी महोदय द्वारा "हर घर जल" प्रमाणित राजस्व ग्रामों के पुनः सत्यापन हेतु दिये गये निर्देश के अनुपालन में सत्यापन का कार्य 12 अदद राजस्व ग्रामों में सत्यापन का कार्य कर लिया गया लिया गया है तथा शेष सत्यापन का कार्य प्रगति पर है। उक्त के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा उक्त सत्यापन का कार्य सम्बन्धित जूनियर इंजीनियरों तथा ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से शीर्ष प्राथमिकता पर रखते हुये कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।  
(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/मे0 एन0सी0सी0 लि0 कुशीनगर)



### 3- एन0एच0 पी0डब्लू0डी0 से लम्बित अनापत्ति प्रमाण पत्र।

सहायक अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद कुशीनगर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के फेज-2 व फेज-3 में ग्रामीण पेयजल योजनाओं के वितरण प्रणाली बिछाने हेतु 16 अदद ग्रामीण पेयजल योजनाओं की अनापत्ति प्रमाण पत्र एन0एच0 पी0डब्लू0डी0 से प्राप्त न होने के कारण 32.866 किमी0 वितरण प्रणाली बिछाना सम्भव नहीं हो पा रहा है जबकि उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र करने हेतु दिनांक 15.07.2024 को ही आवेदन कर दिया गया था। उक्त के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा जिलाधिकारी महोदय के स्तर से एन0एच0 पी0डब्लू0डी0 को पत्र प्रेषित कराने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/मे0 एन0सी0सी0 लि0 कुशीनगर/एन0एच0 पी0डब्लू0डी0 कुशीनगर)

### 4- सड़क चौड़ीकरण/नाली निर्माण के दौरान पूर्व स्थापित वितरण प्रणाली एवं गृह जल संयोजनों का क्षतिग्रस्त होना।

सहायक अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद कुशीनगर में बिछायी गयी वितरण प्रणालीयों एवं गृह जल संयोजनों को ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/लोक निर्माण विभाग द्वारा रोड चौड़ीकरण/नाली निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त कर दिया जा रहा है, जिसके कारण जलापूर्ति बाधित हो जा रही है। जिसके क्रम में मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा यह पूछा गया कि उपरोक्त वितरण प्रणाली व गृह जल संयोजन के शिफ्टिंग का व्यय किसके द्वारा वहन किया जाना है। जिसके क्रम में सहायक अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जल निगम द्वारा पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं में अबतक क्षतिग्रस्त गृह जल संयोजनों व वितरण प्रणालियों के शिफ्टिंग व पुनस्थापना का कार्य कार्यदायी एजेंसी विन्ध्या टेलीलिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाना है। तथा यह सुझाव दिया गया कि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा सड़क चौड़ीकरण/नाली निर्माण के दौरान वितरण प्रणाली व गृह जल संयोजनों के शिफ्टिंग का प्राविधान प्राक्कलन में कर लिया जाये तथा कार्य के दौरान उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) से समन्वय स्थापित करते हुये निर्माण कार्य कराया जाय। जिसके क्रम में मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा सहमति देते हुये यह निर्देश दिया गया कि सड़क चौड़ीकरण/नाली निर्माण के दौरान वितरण प्रणाली/गृह जल संयोजन क्षतिग्रस्त होने पर तत्काल उनके संज्ञान में लाया जाय।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/मे0 एन0सी0सी0 लि0 कुशीनगर/मे0 विन्ध्या टेलीलिक्स लिमिटेड कुशीनगर/टी0पी0आई0ए0/डी0पी0एम0यू0/समस्त खण्ड विकास अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/लो0नि0वि0/जिला पंचायत)

### 5- विद्युत विभाग से सम्बन्धित बिन्दु-

सहायक अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद कुशीनगर में जल निगम द्वारा पूर्व निर्मित कुल 196 अदद ग्रामीण पेयजल योजनाएँ हैं जिनसे जनपद के कुल 313 अदद ग्राम पंचायतों के 519 अदद राजस्व ग्रामों में कुल 206138 अदद गृह जल संयोजन किया गया है जिनमें से 22 अदद ग्राम पंचायत पेयजल योजनाओं से पूर्ण क्षमता पर तथा 108 अदद ग्रामीण पेयजल योजनाओं से आंशिक क्षमता पर जलापूर्ति की जा रही है, शेष 66 अदद ग्रामीण पेयजल योजनाओं से विभिन्न कारणों यथा विद्युत संयोजन में खराबी, रोड चौड़ीकरण के कारण मुख्य वितरण प्रणाली क्षतिग्रस्त होने के कारण जलापूर्ति बाधित है। उक्त योजनाओं में से 24 अदद योजनाएँ छोटी-बड़ी विद्युत खराबी यथा ट्रान्सफार्मर खराब, पोल क्षतिग्रस्त आदि के कारण जलापूर्ति बाधित है जिसके मरम्मत हेतु अधीक्षण अभियन्ता विद्युत विभाग को मुख्य विकास अधिकारी महोदया के स्तर से पूर्व में पत्र प्रेषित किया जा चुका है परन्तु कार्यवाही अभी तक अपेक्षित है। उक्त के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा अधीक्षण अभियन्ता विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित करते हुये उक्त मरम्मत कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता पर रखते



हुये कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/मे० विन्ध्या टेलीलिक्स लिमिटेड  
कुशीनगर/अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत विभाग/ अधिशासी अभियन्ता (वि०/यॉ०), उ०प्र० जल निगम  
(ग्रामीण), गोरखपुर)

मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा जनपद में चल रहे समस्त कार्यों को निर्धारित समयावधि में  
तथा निर्धारित मानक के अनुरूप कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

समीक्षा बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

अधिशासी अभियन्ता/ सदस्य  
सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता  
समिति, कुशीनगर।

(गुन्जन द्विवेदी)  
मुख्य विकास  
अधिकारी/सदस्य, जिला पेयजल  
एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।

(महेन्द्र सिंह तंवर)  
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला पेयजल एवं स्वच्छता  
समिति, कुशीनगर।

पत्रांक-// दिनांक 2019 14/07/236 15/07/23-07-2025  
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर को सादर अवलोकनार्थ।
4. मुख्य विकास अधिकारी महोदया/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
5. जिला विकास अधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
6. प्रभागीय वनाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
7. मुख्य चिकित्साधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
8. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
9. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
10. अधिशासी अभियन्ता, सिचाई एवं जल संसाधन विभाग/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
11. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
12. जिला कृषि अधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
13. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
14. अधीक्षण अभियन्ता, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कुशीनगर।
15. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।
16. अधिशासी अभियन्ता (वि०/यॉ०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर।
17. समस्त अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, कुशीनगर।
18. परियोजना प्रबन्धक, एन०सी०सी० लिमिटेड, कुशीनगर।
19. परियोजना प्रबन्धक, विन्ध्या टेलीलिक्स लिमिटेड, कुशीनगर।
20. डी०पी०एम०, टी०पी०आई०एम० कुशीनगर।
21. जिला समन्वयक डी०पी०एम०यू० कुशीनगर।
22. समस्त सहायक अभियन्ता/जू०ई०।

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव,  
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,  
कुशीनगर।